

1 प्रकरण क्रमांक 03/15 मु0दी0

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 03/15 मु0दी0

इमरानखां पुत्र इफराजखां आयु 25 साल जाति
मुसलमान निवासी वार्ड नं05 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

----- वादी/अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती चमनवानो पत्नी इमरान खां आयु 23
साल जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 5 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0, हाल निवासी ग्राम चेना
परगना जोरा जिला मुरैना म0प्र0

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री बी0एस0यादव अधिवक्ता ।
अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय ।

-:: नि र्ण य ::-

// आज दिनांक 19-6-15 को खुले न्यायालय में घोषित //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 281 मुस्लिम विधि के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदक का निकाह अनावेदिका के साथ में दिनांक 30-4-11 को ग्राम चेना परगना जोरा जिला मुरैना में गवाहान व काजी की मौजूदगी में उनके समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार सम्पन्न हुआ था जिस कारण अनावेदिका निकाह सुदा उसकी बीबी है । आवेदक अपनी पत्नी को अच्छी तरह से रखता था और सब प्रकार की व्यवस्था करता था लेकिन अनावेदिका आवेदक से अक्सर लड़ाई झगडा करती थी और काफी परेशान करती रहती थी । आवेदक एवं अनावेदिका के संसर्ग से एक पुत्र अवराज पैदा हुआ जो वर्तमान में करीबन 2 साल का है । अनावेदिका की काफी तबियत खराब होने पर उसका आवेदक के द्वारा ईलाज करवाया गया । अनावेदिका की माता बन्नो पत्नी फुरीदखां एवं साला रहीस खां दोनों दिनांक 18-5-14 को आवेदक के घर गोहद आये और 2-3 दिन रहे उसके बाद आवेदक के घर पर

2 प्रकरण क्रमांक 03/15 मु0दी0

55000/- नगद रखे थे उक्त रूपयों को जब आवेदक मजदूरी करने के लिये चला गया तब उक्त रूपयों को लेकर अपने भाई व माता के साथ में गोहद सें चली गई तब से आज तब नहीं आयी है । आवेदक अनावेदिका को अपने समाज के लोगों को लेकर के अपनी ससुराल ग्राम चेना परगना जोरा जिला मुरेना में गया और वहां जाकर काफी समझाया लेकिन फिर भी अनावेदिका नहीं आयी और आने से मना कर दिया । दिनांक 1-1-15 को अनावेदिका को लिवाने के लिये वह अपनी ससुराल गया तो उसने आने से मना कर दिया और उसके पुत्र को भी साथ नहीं भेजा । अनावेदिका आवेदक को दाम्पत्य अधिकारों से बंचित रखे हुये हैं और अपने दात्पत्य कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है । इसलिये आवेदक द्वारा अनावेदिका के साथ दाम्पत्य अधिकारों की पुर्नस्थापना की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड समंस जारी किए जाने के उपरांत उसके द्वारा रजिस्टर्ड समंस लेने से इंनकार किया गया। जिस कारण उसके विरुद्ध दिनांक 27-3-15 को उसके अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक अनावेदिका के साथ वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

05. आवेदक इमरान खां आवेदक साक्षी क01 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में शपथपत्र में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि दिनांक 30-4-11 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न है तभी से अनावेदिका उसकी विवाहित पत्नी है । अनावेदिका की डिलेवरी के समय पेट में दो माह का गर्भ होने के कारण उसके दर्द का ईलाज कराने हेतु दिनांक 18-5-14 को ले गया था उसके दो तीन दिन बाद अनावेदिका को आवेदक गोहद लेकर आया। दिनांक 20-5-15 को अनावेदिका के माता बन्नोबाई एवं उसका भाई रहीश आये और आवेदक जब आवेदक मजदूरी करने बाहर गया था तब अनावेदिका आवेदक के घर में 55000/- रूपये रखे हुये उनको लेकर बिना बताये अपने भाई एवं माता के घर चली गयी तब सी वह अपने मायके में निवास कर रही है । आवेदक कई बार उसे लेने गया परन्तु उसने आने से इंकार कर दिया । अनावेदिका के साथ उसके दोनों पुत्र इवराज व अवराज हैं । वह अपनी पत्नी व पुत्रों को अपने साथ रखना चाहता है । आवेदक के द्वारा कई बार पंचायत जोडी गयी परन्तु पंचायत में भी उसने आने से इंकार कर दिया और कई बार उसे लेने गया किन्तु आने से मना कर दिया । आवेदक के द्वारा निकाहनामा प्र. पी. 1 पेश किया गया है।

3 प्रकरण क्रमांक 03/15 मु0दी0

06. आवेदक के द्वारा उपरोक्त संबंध में किया गया कथन का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। यद्यपि नगदी के संबंध में जो कि आवेदक अनावेदिका के द्वारा अपने साथ ले जाना बता रहा है। उक्त नगदी अनावेदिका के पास होने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। ऐसी दशा में नगदी अनावेदिका के द्वारा ले जाना एवं उसके पास होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता। किन्तु जहां तक अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है एवं दिनांक 20-5-15 से अनावेदिका का आवेदक के साथ न रहने और साथ में रहने से उसके द्वारा इन्कार किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में साक्षी का कथन विश्वास योग्य पाया जाता है ।

07. आवेदक के द्वारा उपरोक्त संबंध में किये गये कथन की संपुष्टि आवेदक साक्षी इफराज आ0सा0 साक्षी क्रं02 के कथन से भी होती है । जिसके द्वारा भी यह बताया जा रहा है कि उसके पुत्र आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ में दिनांक 30-4-11 को उसके समाज में प्रचलित प्रथा से हुआ था । उसकी पुत्र वधु के डिलेवरी के समय पेट में दो माह का गर्भ था इस कारण उसका दर्द का ईलाज कराने हेतु 19-5-14 को ले गये थे वह भी साथ में गया था तीन दिन बाद आवेदक अपनी पत्नी को लेकर आया था । दिनांक 20-5-14 को अनावेदिका की माता बन्नोबाई व उसका भाई रहीस निवासी चेना आये और जब उसका पुत्र आवेदक मजदूरी करने बाहर गया था तब उसकी पुत्रवधु 55000/- रुपये जो घर में रखे थे उनको लेकर बिना बताये चली गयी तब से नहीं आयी और अपने मायके में निवास कर रही है। उसका पुत्र आवेदक कई बार उसे लेने गया लेकिन उसने आने से इन्कार कर दिया है । इस संबंध में उपरोक्त साक्षी के द्वारा किया गया कथन प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहा है। यद्यपि नगदी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में किया गया कथन दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता । किन्तु शेष तथ्य के संबंध में साक्षी को विश्वास योग्य माना जाता है ।

08. इस प्रकार प्रकरण में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है। अनावेदिका के द्वारा आवेदक की विवाहित पत्नी होने के उपरांत भी उसके साथ वैवाहिक दाम्पत्य संबंधों की स्थापना नहीं की जा रही है और वह बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में रह रही है और आवेदक को दाम्पत्य सुखों से बंचित किए है।

09. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 281 मुस्लिम विधि स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, के साथ आवेदक के साथ पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

4 प्रकरण क्रमांक 03/15 मु0दी0

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक जो भी हो दी जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही/—

(डी0सी0थूपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(डी0सी0थूपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड